न्यायालय तहसीलदार, श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री सुभाष चन्द शर्मा, तहसीलदार, श्री करणपुर
प्रकरण संख्या – 07/2010
अनवान – मेजरसिंह आदि बनाम हरखासाआम
किस्म मुकदमा – रिमाण्ड प्रकरण अपील वसीयत इन्तकाल।

–: निर्णय :–

दिनांक – 23.04.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) महोदय, श्रीगंगानगर के आदेशांक 115 दिनांक 11.01.2010 द्वारा प्रकरण संख्या 05/2006 अनवान गुरदयाल कौर वगैरह बनाम मेजर सिंह वगैरह जो कि तहसीलदार श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 03.02.2006 प्र.सं. 74/2005 वसीयत इंतकाल के विरूद्ध पेश किया गया था, में निर्णय करते हुए दिनांक 31.12.2009 को निर्णय किया गया कि तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2006 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक मुखतयार सिंह के वारिसों को तलब किया जाकर सुनवाई की जावे तथा भूमि स्वयं अर्जित/पैतृक है इसकी जांच की जावे, गवाहों को परीक्षित किया जावे, नोटेरी व उसके रिकॉर्ड से वसीयत की पुष्टि करवाई जावे एवं न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपजिला कलक्टर श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे।

उक्त निर्णय दिनांक 31.12.2009 की पालना में मृतक मुख्तयारसिंह के समस्त वारिसों को जरिये नोटिस तलब किया गया। मेजरसिंह आदि की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। गुरदयाल कौर को नोटिस तामिल हुआ। गुरदयाल कौर व जग्गा सिंह की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आए। महेन्द्र कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री मुखतयार सिंह पत्नी जोगेन्द्र सिंह निवासी गांव भागसर तहसील सादुलशहर उपस्थित आई एवं शपथ पत्र पेश किया कि प्रार्थीया के पिता द्वारा दिनांक 15.07.2002 को की गई वसीयत सही व वैद्य है एवं उक्त वसीयत के आधार पर चक 2 एमएम की तमाम कृषि भूमि का इन्तकाल मेरे चारों भाइयों मेजर सिंह, सुखदेव सिंह, गुरदीप सिंह, मनजीत सिंह के नाम कर दिया जाता है तो मुझ मिकरा को कोई ऐतराज नहीं है। गुड्डी कौर पुत्री मुखतयार सिंह को नोटिस तामिल हुआ, परन्तु वह उपस्थित नहीं आई, इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वसीयत प्रमाणित करने वाले अधिवक्ता मंगत राम नागपाल नोटेरी पब्लिक उपस्थित आये एवं शपथपत्र पेश किया कि मुख्तयार सिंह मेरे पास एक तहरीर शुदा वसीयत तस्दीक कराने के लिए लाया था जिसमें वसीयत में अंकित भूमि उसने अपने चारों लड़कों मेजर सिंह, सुखदेव सिंह, गुरदीप सिंह तथा मनजीत सिंह के पक्ष में ब.हि.ब. दी थी उक्त वसीयत मैंने अपने रजिस्टर में क्रम संख्या 34 पर दर्ज कर वसीयत कर्ता का अंगूठा भी लगवाया था व गवाह लखविन्द्र सिंह व बलविन्द्र सिंह के हस्ताक्षर भी करवाये थे व वसीयत की पुश्त पर मैंने वसीयत दर्ज करने का इन्द्राज किया था व 10 रुपये की टिकट भी लगाई थी व वसीयत कर्ता का अंगूठा व गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाये थे। उक्त वसीयत मैंने वसीयतकर्ता मुख्तयार सिंह को पढ कर सुना व समझा दी थी जिसे सुन व समझ कर मुख्तयार सिंह ने वसीयत तस्दीक करवाई थी।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या – 07/2010
अनवान – मेजरसिंह आदि बनाम हरखाराराम

पटवारी हल्का से इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार चक 2 एम एम की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खा.सं. 51 में कुल 21.445 है0 भूमि में से 7.148 है0 भूमि 1.223 है0 भूमि बैयनामे से तथा 4.107 है0 भूमि पैतृक है एवं 1.818 है0 भूमि स्वअर्जित या पैतृक है के संबंध में पटवारी हल्का के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। खा.सं. 106 की कुल 15.597 है0 भूमि में से 0.843 है0 भूमि मुखतयार सिंह पुत्र काला सिंह के नाम दर्ज है, जो कि डिक्री से प्राप्त है, एवं खा.सं. 68 में 7.439 है0 भूमि 1.240 है0 भूमि मुखतयार सिंह के पिता काला सिंह पुत्र सावन सिंह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।

सुखदेवसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह द्वारा सूचित किया गया कि मेजरसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके वारिस जसवीरकौर (पत्नी), गुरलाभसिंह (पुत्र), सर्वजीतकौर (पुत्री) है।

वसीयत के गवाह लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह व बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटरिख निवासीगण रडेवाला में से लखविन्द्र सिंह उपस्थित आया व उसने शपथ पत्र पेश किया कि मुख्तयार सिंह द्वारा दिनांक 15.07.2002 को वसीयत मेरे समक्ष लिखवाई गई थी, एवं वसीयत के सत्य होने का शपथपत्र पेश किया। दूसरे गवाह बलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह की दिनांक 28.06.2021 को मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुआ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर में विचाराधीन प्र. संख्या 38/2006 अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए जग्गा सिंह वगैरह बनाम मेजर सिंह वगैरह में प्रार्थीगण ने वसीयत शुदा भूमि को सभी वारिसों के नाम ब.हि.ब. घोषित करवाने हेतु जग्गा सिंह आदि द्वारा वाद पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 02.11.2012 को खारिज कर दिया गया। इसी वसीयत के संबंध में एक प्रकरण 30/2013 बाबत घोषनात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में अनवान जग्गा सिंह वगैरह बनाम मेजर सिंह वगैरह द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश श्रीकरणपुर में पेश हुआ, जिसमें वादीगण द्वारा वसीयतशुदा भूमि को सभी वारिसों के नाम ब.हि.ब. घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 17.07.2019 को खारिज कर दिया गया।

जग्गा सिंह की मृत्यु हो गई, उनके वारिसान गुरविन्द्र सिंह, परविन्द्र कौर, जसप्रीत कौर, सुखमन्दर सिंह, परमजीत कौर को पक्षकार बनाया गया। जिन्हें जरीये नोटिस तलब किया गया। गुरविन्द्र सिंह, परविन्द्र कौर, सुखमन्दर सिंह, परमजीत कौर की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ। जसप्रीत कौर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजे एक माह से अधिक समय हो चुका है परन्तु जसप्रीत कौर उपस्थित नहीं आई अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। गुरदयाल कौर व जग्गा सिंह वगैरह के अभिभाषकगण को उपस्थित आने हेतु बार बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आए, अतः उनकी तरफ से जवाब एवं साक्ष्य आदि पेश करने की कार्यवाही बन्द की गई।

चक 2 एम एम की उक्त वसीयतशुदा समस्त भूमि के संबंध में ऐतराज हेतु पुनः समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29.03.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई जिसमें गुरदयाल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह एवं मृतक जग्गा सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के वारिस गुरविन्द्र सिंह, सुखविन्द्र सिंह, परविन्द्र कौर, जसप्रीत कौर, परमजीत कौर पुत्र पुत्रियां जग्गा सिंह को इस वसीयत के संबंध में आपत्ति होने पर अपना ऐतराज 15 दिवस में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया यदि उनके द्वारा कोई ऐतराज पेश नहीं किया जाता है तो एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। गुरदयाल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह एवं मृतक जग्गा सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के वारिस गुरविन्द्र सिंह, सुखविन्द्र सिंह, परविन्द्र कौर, जसप्रीत कौर, परमजीत कौर पुत्र पुत्रियां जग्गा सिंह को जरिये नोटिस भी ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु डाक द्वारा सूचित किया गया परन्तु आजदिनांक 23.04.2024 तक उनके द्वारा कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

प्रकरण संख्या – 07/2010
अनवान – मेजरसिंह आदि बनाम हरखासआम

इस प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर के निर्णय मे दिए गए निर्देशों की पालना में समस्त वारिसों, गवाहों व नोटेरी पब्लिक को सुना गया [illegible] मे वारिस गुड्डी कौर पुत्री मुखतयार सिंह को व्यक्तिगत नोटिस तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं आने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। गुरदयाल कौर व जग्गा सिंह वगैरह तथा उनके वारिसों की तरफ से अभिभाषकगण उपस्थित आये परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने पर उन्हें पुनः उपस्थित आने हेतु बार बार आवाज लगाने पर भी उनकी तरफ से कोई साक्ष्य एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया इसलिए ऐतराज के संबंध में पुनः विज्ञप्ति जारी करने के बाद एवं जरिये डाक नोटिस जारी करने के बावजूद भी उनके उपस्थित नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। एक गवाह उपस्थित आगा जिसने वसीयत के सही होने के संबंध में शपथ पत्र पेश किया एवं एक गवाह की मृत्यु होने के कारण उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वसीयतकर्ता के नाम चक 2 एम एम की जमाबन्दी में अंकित 7.148 है0 भूमि व 0.843 है0 भूमि का यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वसीयत के अनुसार सुखदेव सिंह, गुरदीप सिंह, मनजीत सिंह पिसरान मुखत्यारसिंह 3/4 हिस्सा ब.हि.ब. तथा जसवीरकौर पत्नी मेजरसिंह, गुरलाभसिंह पुत्र मेजरसिंह, सर्वजीतकौर पुत्री मेजररिंह पत्नी लखविन्द्ररिंह जाति जटसिख के नाम 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू-अ.),
श्री करणपुर

Scanned with OKEN Scanner